Website : www.alldstateuniversity.org E-mail ID- registrarasua@gmail.com

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

(Formerly Allahabad State University)

पत्रांकः पी0आर0एस0यू0 / सम्बद्धता / 9169 / 2019 दिनांकः 17 जुलाई, 2019

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0।

विषयः शासनादेश दिनांक : 09 मई, 2000 में निहित निर्देशों के सापेक्ष सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक इस पत्र के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्या– 2443 / सत्तर–2–2000–2 (85) / 97 दिनांक : 09 मई, 2000 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके बिन्दु संख्या– 3 के द्वारा निम्नलिखित दिशा– निर्देश दिये गये हैं–

"संस्था को छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाले आय का 75 से 80 प्रतिशत भाग संस्था द्वारा वेतनमान में खर्च किया जायेगा।"

अतएव संलग्न शासनादेश दिनांक : 09 मई, 2000 के बिन्दु संख्या– 3 में निहित दिशा–निर्देशो का पालन किये जाने अथवा नहीं किये जाने से सम्बन्धित सूचना दिनांक– 19.07.2019 तक प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय के ई0मेल0 **afiliation.registrarasua@gmail.com** पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

यह भी सूच्य है कि उपरोक्त प्रकरण विधान परिषद प्रश्न से सम्बन्धित हैं जिसमें वांछित सूचना सम्बद्ध महाविद्यालयो से प्राप्त करते हुए शासन को प्रेषित किया जाना हैं। अतएव वांछित सूचना प्रेषित किये जाने से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(शेषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. एजेन्सी को इस आशय से कि उक्त पत्र को सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(शेषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव

पताः सी०पी०आई० परिसर, महात्मा गाँधी रोड,सिविल लाइन्स, प्रयागराज, (उ०प्र०), फोनः 0532–2256206
Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Prayagraj, (U.P.) Ph. 0532-2256206

संख्या–2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97

प्रेषक,

श्री हेमन्त राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 09 मई, 2000

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या -- 1960 / सत्तर–2–91–2(85) / 97, दिनांक 11--11–97 तथा शासनादेश संख्या–4228 ए / सत्तर–2–11–2(85) / 97, दिनांक 30–10–99 की ओर आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है। इन मानकों का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों तथा इसके परिक्षेत्र के बाहर के पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग मानक निर्धारित है। उक्त दिनांक 11–1797 के शासनादेश में ऐसी संस्थाओं तथ महाविद्यालयों में उल्लिखित पाठ्यक्रमों हेतु अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा इन्हें अनुमन्य किये जाने वाले वेतन की स्थिति भी स्पष्ट की गयी थी। शासनादेश दिनांक 30–10–99 द्वारा शिक्षकों के चयन एवं उन्हें अनुमान्य वेतन के सम्बन्ध में समुचित विचार करने के उपरान्त का तथ्य संशोधन भी किये गये।

2. उपर्युक्त शासनादेश में विहित शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, उनका वेतन निर्धारण एवं अर्हताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचार करने क उपरानत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

(1) स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्यापकों के चयन के लिए विशेषज्ञ का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चयन का अनुमोदन विश्व विद्यालय से कराया जायेगा, जिससे चयनित व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना विश्व विद्यालय में भी उपलब्ध हो जायेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यपरिषद् के अनुमोदन से प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञों को पैनल बनायेंगे, जो तीन वर्षो तक प्रभावी रहेगा। प्रबन्ध तंत्र को जिस विषय में अध्यापाक को चयन कराना हो इस पैनल में से विशेषज्ञों का चयन प्रबन्ध तंत्र द्वारा कर लिया जायेगा।

(2) स्ववित्त पोषित महाविद्यालायों में अध्यापकों की नियुक्ति तीन वर्ष अथ्वा पांच वर्ष की संविदा पर की जायेगी। संविदा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रबन्ध तंत्र द्वारा फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर पूर्व से कार्यरत व्यक्ति के नाम पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा। इस महाविद्यालयों में नियुक्त रूप से विचार किया जायेगा। इन महाविद्यालयों में नियुक्त संस्था के प्रबन्ध तंत्र को तीन माह का देकर से त्याग पत्र दे सकता है। परन्तु यदि प्रबन्ध तंत्र शिक्षक के शिक्षण कोई से सन्तुष्ट न हो तो प्रबन्ध तंत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही तक सम्बन्धित शिक्षक को सेवा से हटा सकते है परन्तु

अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति में कुलपति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) संस्था को छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आयु का 75 से 80 प्रतिशत भाग संस्था द्वारा वेतनमान में खर्च किया जायेगा। परन्तु अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन तथा वेतनमान के सम्बन्ध में वचनदाता (कमिण्टमेंट) न किया जायें। अध्यापकों को देय वेतन शिक्षण शुल्क की मात्रा पर निर्भर करेगा।

(4) शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में इन्हे दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति अध्यापक की एक प्रति महाविद्यालय में रखी जाय तथा एक प्रति विश्वविद्यालय में जमा करायी जाय।

(5) स्ववित्त पोषित संस्थाओं के शिक्षको के लिए अर्हताएं तथा शर्तें वही होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित है।

(6) अध्यापकों के लिए अनुदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीव्यूटरी प्रविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू की जाय।

उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्थाओं को लागू करने के सम्बन्ध में विश्व विद्यालय की परिनियमावली में तदनुसार प्राविधान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(हेमन्त राव)
विशेष सचिव

संख्या – 2443(1)/सत्तर–2–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, महामहिम कुलाधिपति।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
(5) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
(6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

भवदीय

(हेमन्त राव)
विशेष सचिव